कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 3070 /12–1 देहरादून : :दिनांकः 30 जून, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।
वन अनुभाग–3।

विषय :– जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43 है0 सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online No FP/UK/ROAD/10668/2015)

सन्दर्भ :– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0–334/X-4-15/1(160)/2015 दिनांक–30.05.2015

महोदय,

कृपया वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 3149 / 12–1(2) दिनांक 28.05.2025 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कर आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र.सं	अधिरोपित शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.86 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	**शर्त संख्याः–1 के** अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.86 है0 ग्राम कालनू सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 6,94,980.00 (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर ली गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम–कालून सिविल सोयम भूमि 4.86 है0 जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के आदेश सं0 3040 / ग्यारह–11 / 2024–25 दिनांक 13.02.2025 संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–01)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	**शर्त संख्याः–02 के** अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों की रख–रखाव हेतु धनराशि वन विभाग के पक्ष में रू0 5,40,000.00 मात्र वन के पक्ष में जमा कर दी गयी है। **(संलग्नक–02)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं–5–3 / 2007–एफ0सी0 दि0 05.02.	**शर्त संख्याः–03 के** अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग में

	2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित रू0 20,53,350.00 की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है। **(संलग्नक–03)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	**शर्त संख्याः–04 के** अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि **भारत सरकार के पत्र संख्या–5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 एवं पत्र संख्या–5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की पुनरीक्षित (नवीन) दरों के तहत रू0 11,06,276.00 (ग्यारह लाख छः हजार दो सौ छिहत्तर मात्र) की अतिरिक्त धनराशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा कर दिया है। (संलग्नक–04)**
5	भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल,सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1,लोधी रोड, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	**शर्त संख्याः–05 के** अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 6,94,980.00 तथा एन0पी0वी0 हेतु 20,53,350.00 एवं मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण की धनराशि रू0 5,40,000.00 तथा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि रू0 11,06,276.00 (ग्यारह लाख छः हजार दो सौ छिहत्तर मात्र) की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दिया है। **(संलग्नक–05)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं–5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1,लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ़्ट /चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	**शर्त संख्याः–06 के** अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं–5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1,लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा की गयी है। **(संलग्नक–06)**
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	**शर्त संख्याः–07 के** अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से पालन किया जायेगा, इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–07)**

8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	**शर्त संख्याः–08 के** अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावति मार्ग में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र सभी संलग्नकों सहित आन लाईन कर हार्ड कापी प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–08)**
9	प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार,पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	**शर्त संख्याः–09 के** अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव में निहित सभी निर्धारित शर्तो का पालन भली–भॉति किया गया है। **(संलग्नक–09)**
10	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	**शर्त संख्याः–10 के** अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विधिवत स्वीकृति हेतु चाही सभी शर्तों का पालन किये जाने हेतु प्रस्तावक विभाग सहमत है। **(संलग्नक–10)**

अतः अनुरोध है कि प्रभागीय वनाधिकारी / वन संरक्षक द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करना चाहे।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या : 3070 / 12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

(541)
-10668

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 3149 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 28.05.2025.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– अल्मोड़ा के अन्तर्गत भगरतोला– चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0 334/X-4-15/1(160)/2015 दिनांक 30.05.2015।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा के पत्रांक 4347/12-1 दिनांक 26.05.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

प्रभारी अल्मोड़ा
आ० का० करें,

प्र० क० नि० / नो०
3-05-25

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
प्रविष्टि सं0 5491
12-1
6-6-25

आवक संख्या 21 MAY 2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 4347 /12-1 दिनांक, 26/05/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषयः– **जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ– अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्र सं0 – 334/X-4-15/1(160)/2015 dt 30.05.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र द्वारा जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति के कुछ शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोडा ने अपनी पत्र सं0 1421/3 सी0 09.05.2025 से अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या उपलब्ध की गयी है, जिसे निम्नानुसार बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित की जा रही है–

क्रम सं0	अधिरोपित शर्तें	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.86 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.86 है0 ग्राम कालनू सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 694980.00 (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर ली गयी है। भूमि का हस्तान्तण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों की रख–रखाव हेतु धनराशि वन विभाग के पक्ष में रू0 540000.00 मात्र प्रभागीय वनाधिकारी से तत्कालीन दरों में निर्धारित कर वनभूमि के पक्ष में जमा कर दी गयी है। जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं–5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित रू0 2053350.00 की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 11.09.2015 को जमा कर दी गयी है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि 1106276.00 (ग्यारह लाख छः हजार दो सौ छिहत्तर मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 15.02.2025 को जमा कर दी गयी है। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

5	भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल,सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1,लोधी रोड, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 694980.00 तथा एन0पी0वी0 हेतु 2053350.00 तथा मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण की धनराशि रू0 540000.00 तथा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि रू0 1106276.00 (ग्यारह लाख छः हजार दो सौ छिहत्तर मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा आनलाईन कैम्पा में जमा कर दी गयी है। (चालना की प्रति संलग्न)
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं–5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1,लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट /चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं–5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1,लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा की गयी एन0पी0वी0 तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का विवरण संलग्न किया जा रहा है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से पालन किया जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रेषित किया जा रहा है।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावति मार्ग में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र सभी संलग्नकों सहित आन लाईन कर हार्ड कापी प्रेषित की जा रही है।
9	प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार,पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव में निहित सभी निर्धारित शर्तो का पालन भली–भॉति किया गया है और भविष्य में मार्ग निर्माण में भी किया जायेगा।
10	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित कार्य के निर्माण में उत्तराखण्ड द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु चाही सभी शर्तो का पालन कर आख्या प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा किजीएगा।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोडा।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निमाण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा
E-mail-eecdalmorapwd@rediffmail.com

पत्रांक 1421 /3सी. (व.भूमि) दिनांक 09/05/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ– अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्र सं0 – 334/X-4-15/1(160)/2015 dt 30.05.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत हैः–

A - बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है–

1– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.86 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	**शर्त संख्या** 1– प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.86 है0 ग्राम कालनू सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 694980.00 (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर ली गयी है। भूमि का हस्तान्तण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
2– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	**शर्त संख्या** 2– प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों की रख–रखाव हेतु धनराशि वन विभाग के पक्ष में रू0 540000.00 मात्र प्रभागीय वनाधिकारी से तत्कालीन दरों में निर्धारित कर वनभूमि के पक्ष में जमा कर दी गयी है। जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं–5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	**शर्त संख्या** 3– प्रस्तावित मोटर मार्ग में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित रू0 2053350.00 की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 11.09.2015 को जमा कर दी गयी है।
4– प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	**शर्त संख्या** 4– प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि 1106276.00 (ग्यारह लाख छः हजार दो सौ छिहत्तर मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 15.02.2025 को जमा कर दी गयी है। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
5– भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल,सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1,लोधी रोड, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	**शर्त संख्या** 5– प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 694980.00 तथा एन0पी0वी0 हेतु 2053350.00 तथा मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण की धनराशि रू0 540000.00 तथा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि रू0 1106276.00 (ग्यारह लाख छः हजार दो सौ छिहत्तर मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा आनलाईन कैम्पा में जमा कर दी गयी है। (चालना की प्रति संलग्न)

सि0 एवं सो0 वन प्रभाग अल्मोड़ा
पंजीकृत सं0 8814
फाईल सं0 12
दिनांक 23/05/2025

6–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं–5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 03710010102529 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1,लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट /चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	**शर्त संख्या 6–** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं–5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1,लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा की गयी एन0पी0वी0 तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का विवरण संलग्न किया जा रहा है।
7–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	**शर्त संख्या 7–** प्रस्तावित कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से पालन किया जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रेषित किया जा रहा है।
8–प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	**शर्त संख्या 8–** लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावति मार्ग में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र सभी संलग्नकों सहित आन लाईन कर हार्ड कापी प्रेषित की जा रही है।
9–प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार,पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	**शर्त संख्या 9–** लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव में निहित सभी निर्धारित शर्तो का पालन भली–भॉति किया गया है और भविष्य में मार्ग निर्माण में भी किया जायेगा।
10–उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	**शर्त संख्या 10–** प्रस्तावित कार्य के निर्माण में उत्तराखण्ड द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु चाही सभी शर्तो का पालन कर आख्या प्रेषित की जा रही है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या को अपने स्तर से नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

09/05/2025

(इं0 विभोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,अल्मोड़ा

प्रतिलिपि–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन सरक्षक, इन्दिरा नगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–वनभूमि सहायक, नि0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को पत्रावली हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,अल्मोड़ा

संख्या 334/X-4-15/1(160)/2015

प्रेषक,

पी0के0पात्रो,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 देहरादून: दिनांक: 30 मई, 2015

विषय: जनपद-अल्मोड़ा में भगरतोला-चमुवा-कपकोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43, हे0 सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3139/1-जी-FP/UK/ROAD/10668/2015 दिनांक 06 मई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-अल्मोड़ा में भगरतोला-चमुवा-कपकोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43, हे0 सिविल एवं पंचायती वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 07 नवम्बर, 2014, शासनादेश संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-652/F/XVIII-(2)/2013&15(34)/2013 दिनांक 25 जुलाई, 2013 एवं कार्यवृत्त दिनांक 10.04.2015 में निहित प्राविधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.86, हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षति पूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
5. भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0बी0-25229 कार्पोरेशन बैंक

आदेश

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में प्रस्तावित बगुवा–कफकाली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.43 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल 4.86 है० सिविल भूमि का नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में तथा याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के अनुरोध के क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट,रानीखेत द्वारा अपने पत्र संख्या 273/302/मु0/क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2024–25, दिनांक 27 जनवरी,2025 से प्राप्त प्रस्ताव/आख्या संस्तुति के साथ निम्नवत: अभिलेखों सहित क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी भूमि की खतौनी, खसरा, नक्शा व संयुक्त निरीक्षण आख्या एवं उप सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या 335/X-4-15/1(160)/2015 दिनांक 30 मई, 2015 से प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के आधार पर उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण के लिए ग्राम कालनू, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र पाखुड़ा, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के नाप ज०वि०खतौनी खाता संख्या–19/236 श्रेणी 9(3)ड बंजर काबिल आबाद के पैमायशी खेत संख्या 7225 म0 रकबा 4.860 है0 सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती हैं। तहसीलदार, रानीखेत तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 12 फरवरी,2025

(आलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या– 3040 /ग्यारह–11 /2024–25 दिनांक: 13 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि: निम्नाकिंतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2– मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा (नोडल)।
3– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
4– संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत।
5– तहसीलदार, रानीखेत।
6– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

(आलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

2024-25
XI
11
4607
13/2/205

प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

(5)

गैर ज० वि० खतौनी उद्धरण ग्राम- काल्नू तहसील - रानीखेत जिला - अल्मोड़ा

श्रेणी – 9(3)ङ - कृषि योग्य बंजर भूमि

खाता संख्या	नाम खातेदार	फसली	खेत नं०	रकबा	तोक	विवरण
19/236	बंजर का० आ०		2	0·388		श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं० 3[illegible]/ग्यारह – 12–20[illegible] दि० 3/3/2015 के ग्राम काल्नू पटवारी क्षेत्र पाखुड़ा तहसील रानीखेत के गैर ज० वि० खाता सं० 19/226 की श्रेणी 9(3)ङ योग्य बंजर भूमि के पैमायशी खेत नं० 12[illegible] रकबा [illegible] हे० सिविल भूमि अतिरिक्त वृक्षारोपण हेतु वन विभाग रानीखेत के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित / नामान्तरित की जाती है।
			4	0·429		
			9	0·050		
			16	0·092		
			↕	↕		हस्ताक्षर अस्पष्ट
			104	0·060		6/4/015
			569	0·320		श्रीमान जिला अधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं० 3[illegible]/ग्यारह–12–2015 दि० 3-3-15 के ग्राम - काल्नू पटवारी क्षेत्र पाखुड़ा तहसील रानीखेत के गैर ज० वि० खाता 19/226 की श्रेणी 9(3)ङ योग्य बंजर भूमि के पैमायशी खेत नं 12[illegible] वाले कुल रकबा 1·350 हे० सिविल भूमि को अतिरिक्त वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया जाता है। प्रस्तावित भूमि को वन विभाग रानीखेत के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित / नामान्तरित की जाती है।
			↕	↕		
			581	0·135		
			1385	1·320		
			↕	↕		
			1389	0·005	पोखरी	
			1633	0·566		हस्ताक्षर अस्पष्ट दि० 6/4/015
			↕	↕		श्रीमान जिला अधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं० 3962/ग्यारह–14–2015 दि 3/3/015 के ग्राम काल्नू पटवारी क्षेत्र पाखुड़ा तहसील रानीखेत के गैर ज० वि० खा० सं० 19/226 की श्रेणी 9(3)ङ योग्य बंजर भूमि के पैमायशी खेत सं० 7230 रकबा 1·864 हे० एवं खेत सं० 7237 वाले रकबा 0·841 हेक्टेयर कुल 2·705 हे० सिविल भूमि को अतिरिक्त वृक्षारोपण हेतु वन विभाग रानीखेत के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित / नामान्तरित की जाती है।
			1741	0·390		
			1806	0·150		
			1997	0·050		
			2042	0·015		
			↕	↕		
			2044	0·125		हस्ताक्षर अस्पष्ट
			2074	0·018		6/4/015
			2092	9·306		श्रीमान जिला अधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं० 3965/ग्यारह 17/2015 दि० 3/3/015 के ग्राम काल्नू पटवारी क्षेत्र पाखुड़ा तहसील रानीखेत के गैर ज० वि० खा० खा० सं० 19/226 की श्रेणी 9(3) योग्य बंजर भूमि के पैमायशी खेत नं० 1233 म रकबा 2·438 हे० कुल 2·438 हे० सिविल भूमि को अतिरिक्त वृक्षारोपण हेतु वन विभाग रानीखेत के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित / नामान्तरित की जाती है।
			2275	0·021		
			↕	↕		
			2302	0·029		
			2451	0·265		
			3244	0·013		
			↕	↕		हस्ताक्षर अस्पष्ट
			3618	0·008	सेरा	दि० 6/4/015
			3632	0·265	सेरा	श्रीमान जिला अधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं० 39166/ग्यारह–18/2015 दि० 3/3/15 के ग्राम काल्नू पटवारी क्षेत्र पाखुड़ा तहसील रानीखेत के गैर ज० वि० खा० खा० सं० 19/236 के श्रेणी 9(3) योग्य बंजर भूमि के पैमायशी खेत सं० 7926 रकबा 10,000 हे० खेत सं० 7237 रकबा 2·680 कुल 12·680 हे० सिविल भूमि को अतिरिक्त वृक्षारोपण हेतु वन विभाग रानीखेत के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित / नामान्तरित की जाती है।
			↕	↕		
			3748	0·009	सिमार-हार	
			3772	0·116		
			3791	0·036		
			↕	↕		
			3986	0·029		हस्ताक्षर अस्पष्ट
			4148	0·013	सिमार [illegible]	6/4/015
			क्रमशः	क्रमशः		

खाता संख्या	नाम खातेदार	फसली	खेत नं.	रकबा	तोक
13/236	बंजर का० आ०		4150	0.015	उमिया क्रमश.
			4156	0.028	
			4291	0.030	
			↕	↕	
			4476	0.040	
			4483	0.030	
			4504	0.090	
			4706	0.013	
			↕	↕	
			4717	0.016	रौला, माहरो
			4724	0.048	
			4967	0.003	
			↕	↕	
			4970	0.013	रौला,गधे
			4976	0.008	
			5378	0.145	
			↕	↕	
			5376	0.060	कुकुर-गैर
			5381	0.450	
			5691	0.023	डीना
			↕	↕	
			5701	0.480	सेराड़ी
			6107	0.013	
			↕	↕	
			6111	0.030	तल्लासेम
			6115	0.026	
			6143	0.008	
			6524	0.035	
			6742	0.035	
			↕	↕	
			6765	0.024	रैला
			6856	0.014	नैकणा
			6904	0.045	
			7049	0.250	
			7125	0.050	
			7133	0.036	
			7161	0.063	
			7167	0.020	
			7170	0.013	
			↕	↕	
			क्रमशः	क्रमशः	

विवरण

श्रीमान जिला अधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं० 3968/ग्यारह-20/2015 दि० 3.3.15 के ग्राम काल्हू पटवारी क्षेत्र पाखुड़ा तहसील रानीखेत के गैर ज० वि० क्षे० खा० सं० 13/226 की श्रेणी 5(3) घ बंजर भूमि के पैमायशी खेत नं० 7233 मध्ये रकबा 4.213 हेक्टेयर सिविल भूमि को प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग उत्तराखंड के प्रशासनिक नियंत्रण को हस्तांतरित/नामांतरित की जाती है।

हस्ताक्षर अस्पष्ट
6/4/015

श्रीमान जिला अधिकारी अल्मोड़ा के सं० 3462/ग्यारह-12/2016-17 दि० 29/2/017 के ग्राम काल्हू पटवारी क्षेत्र पाखुड़ा रा० उ० नि० क्षेत्र पाखुड़ा के खेतों की खाता सं० 13/226 की श्रेणी 5(3)ड बंजर का० आ० के पैमायशी खेत नं० 7233 मध्ये 0.860 हे०, खेत नं० 7241 रकबा 1.055 खेत नं० 72— रकबा 4.235 हे० कुल 6.150 हे० भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की जाती है भूमि निरस्त्रना पुल तक रोड खलना प्रस्तावित मोटरमार्ग हेतु प्रस्तावित है।

हस्ताक्षर अस्पष्ट
दि० 29/06/017

श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के सं० 2463/ग्यारह-13/-2016-17 दि० 24/3/2017 के भतरौंजी से मासी तक प्रस्तावित मोटरमार्ग ग्राम काल्हू क्षेत्र पाखुड़ा तहसील रानीखेत के गैर ज० वि० क्षे० खा० सं० 13/226 की श्रेणी 5(3)ड ब० का० आ० के पैमायशी खेत नम्बर 7238 म० 6.102 हे० सिविल भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की जाती।

हस्ताक्षर अस्पष्ट
दि० 29/6/2017

श्रीमान, जिला अधिकारी महोदय, अल्मोड़ा के आदेश संख्या 2134/ग्यारह-14/2015 दिनांक 3 जनवरी 2025 के अनुसार ग्राम काल्हू की गैर ज० वि० ख० खा० संख्या 13/226 श्रेणी 5(3)ड बंजर काबिल आबाद के खेत संख्या 2092 मध्ये रकबा 2.705 हे० सिविल भूमि को सल्ट से भ्रमणोक मोटरमार्ग के निर्माण हेतु प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण को हस्तांतरित/नामांतरित की जाती है।

हस्ताक्षर
रा० उ० नि० पाखुड़ा
15/01/2025

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के कार्यालय आदेश सं० 3043/ग्यारह-14/2024-25 दिनांक 13 फरवरी 2025 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में फाराखोली से गल्ली मयोली के मोटरमार्ग हेतु प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम काल्हू रा० उ० नि० क्षेत्र पाखुड़ा तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा के गैर ज० वि० खेतों की खाता सं० 13/236 श्रेणी 5(3)ड बंजर काबिल आबाद के पैमायशी खेत सं० 2092 म० रकबा 5.604 हे० सिविल भूमि को

खाता संख्या	नाम खातेदार	फसली	खेत नं.	रकबा	लेख	विवरण
13/236	बंजर काबिल आबाद		7173	0.030	अस्थायी	
			7182	0.033		
			7193	1.470		
			7195	0.035		
			7207	0.023		
			7211	0.258		
			7217	0.230		
			7218	0.313		
			7220	0.300	पुनता	
			7225	6.000		
			7226	10.000		
			7227	0.613		
			7229	6.049		
			7230	1.864		
			7233	5.845		
			7234	10.684		
			7237	8.326		
			7238	1.029		
			7240	0.031		
			7249	1.055		
			7250	4.235		

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित की जाती है।

[illegible]
रा० उ० नि० पाखुड़ा
01/03/2025

नुo आo मवाबात सं 152/3 10/5.33 सन् 70-71 श्रीमान कुमाऊँ कमिश्नर दिनांक 15/5/72 के मानसार पुनर्वासार्थ खेत नं० उपरोक्त में 5 नाली भूमि बगीचा हेतु स्वीकृत होने पर अमलदरामद ग्रान्टी के रूप में किया।

ह० अ०
दि० 11-1-85

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के कार्यालय आ० सं० - 3040/ग्यारह-11/2014-25 दिनांक 13 फरवरी 2025 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में आरतोला - नयुना - कफकोली मोटरमार्ग हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम - कालनू रा० उ० नि० क्षेत्र पाखुड़ा तहसील - रानीखेत, जिला - अल्मोड़ा के गैर ज० वि० खतौनी खाता सं० 13/236 श्रेणी 5 (3) 5 बंजर काबिल आबाद के पैमायशी खेत सं० 7225 मा० रकबा 4.860 हे० सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तांतरित की जाती है।

[signature]
रा० उ० नि० पाखुड़ा
01/03/2025

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के कार्यालय आदेश सं० - 3072/ग्यारह-13/2024-25 दिनांक 13 फरवरी 2025 के अनुसार जनपद अल्मोड़ा के सोमेश्वर [illegible] तड़कोट चुलाबिला मोटरमार्ग हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम - कालनू के गैर ज० वि० खतौनी खाता संख्या 13/236 श्रेणी 5 (3) 5 बंजर काबिल आबाद के पैमायशी खेत सं० 7229 रकबा 6.049 हे० एवं खेत सं० 7237 रा० 0.115 हे० कुल रकबा 6.164 हे० सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तांतरित की जाती है।

S. Divya
रा० उ० नि० पाखु
01/03/2025

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 1)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा में अन्तर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/10668/2015**)**

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.86 है0 ग्राम कालनू सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 694980.00 (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर ली गयी है। भूमि का हस्तान्तण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है।

अमीन **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**कनिष्ठ अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**सहायक अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**अधिशासी अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 2)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा में अन्तर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/10668/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों की रख–रखाव हेतु धनराशि वन विभाग के पक्ष में रू0 540000.00 मात्र दिनांक 11.09.2015 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी से तत्कालीन दरों में निर्धारित कर वनभूमि के पक्ष में जमा कर दी गयी है।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

PROFORMA OF DEPOSIT OF FUNDS IN ADHOC CAMPA

Name of Proposal:-जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक–334 / X–4–15 / 1(160) / 2015, दिनांक–30.05.2015 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त

1	**Name of Regional Office**	**Regional Office, Dehradun**
2	State /Distt/Forest Division to which the proposal relates	Uttarakhand/ Almora/civil avm Soyam Forest Division/ Almora
3	Name of User Agency, Nature of Proposal	Construction Division, PWD Almora
4	Extent of forest area involved	2.43 Hec.
5	Whether original, or extension	Original
6	If extensions of lease, Pl clarify if proposal involves additional Forest area, and if so, specify	-
7	Date of 1st stage clearance	Dt 30.05.2015
8	Extent of CAMPA Charges, Head wise Viz	-
a	Compensatory Afforestation	Rs. 694980.00
b	Additional CA	-
c	Panel CA	-
d	Catchment Area Treatment	-
e	Wild Life Management Plan	-
f	Additional Charges for Diversion of area falling under notified/protected areas.	-
g	Net Present Value	Rs. 2053350.00
h	Any other charges/ levies (PI Specify) Blank Spaces Plantation. Road side Plantation	Rs. 540000.00
	Total	**Rs. 3288330.00**
9	Details of Bank (Bank, Draft No. Date & Amount), Head Wise against items indicatied in paragraph 8 avobe	Deposited BY NEFT/RTGS
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	Cheque No. CC3700162909150010 date 11.09.2015
11	Bank (Corporation bank, Lodhi complex/ Union Bank of India, sunder Nagar) in which deposited with date of deposition	Union Bank of India,
	Any other Remarks	-

30/01/2015

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 3)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा में अन्तर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/10668/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित रू0 2053350.00 की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 11.09.2015 को जमा कर दी गयी है।

अमीन	**कनिष्ठ अभियन्ता**	**सहायक अभियन्ता**	**अधिशासी अभियन्ता**
निर्माण खण्ड,	**निर्माण खण्ड,**	**निर्माण खण्ड,**	**निर्माण खण्ड,**
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	**लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 4) (वचन बद्धता प्रमाण–पत्र)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा में अन्तर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/10668/2015**)**

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि 1106276.00 (ग्यारह लाख छः हजार दो सौ छिहत्तर मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 15.02.2025 को जमा कर दी गयी है।

अमीन	**कनिष्ठ अभियन्ता**	**सहायक अभियन्ता**	**अधिशासी अभियन्ता**
निर्माण खण्ड,	**निर्माण खण्ड,**	**निर्माण खण्ड,**	**निर्माण खण्ड,**
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	**लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम | A Government of India Undertaking

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 06-03-2025

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA
PIF/Application No.	6110668874
MoEF/SG File No.	1(160)/15
Address.	Construction Division PWD Almora Almora
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	 eecdalmorapwd@rediffmail.co 9759892120 5962-230091
Amount(in Rs)	1106276/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words:Eleven Lakh Six Thousand Two Hundred and Seventy-Six Rupees Only

प्रतिसत्यापित

सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा

Depositor Signature
(Signature)

Union Bank of India, Almora Branch, 560162

Bank Official
(Signature)

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 5)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा में अन्तर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/10668/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 694980.00 तथा एन0पी0वी0 हेतु 2053350.00 तथा मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण की धनराशि रू0 540000.00 तथा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार धनराशि रू0 1106276.00 (ग्यारह लाख छः हजार दो सौ छिहत्तर मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा आनलाईन कैम्पा में जमा कर दी गयी है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/10668/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10668/2015) Bhagartola-Chamua-Kapkoli Motor Road	ROAD106682015874	6110668874	30 May 2015	**CA:** 0/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 1106276/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 1106276/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 13 Feb 2025 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : Union Bank Of India (Challan) **Challan Generated On** : 06 Mar 2025 **Transaction Date** : 15 Feb 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/17012025
2	FP/UK/ROAD/10393/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10393/2015) Bartoli-Banthok Motor Road(Part I)	ROAD103932015671	6110393671	08 Oct 2015	**CA:** 0/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 957164/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 957164/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 03 Jan 2025 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : Union Bank Of India (Challan) **Challan Generated On** : 09 Jan 2025 **Transaction Date** : 10 Jan 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/20122024

प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 6)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा में अन्तर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/10668/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं–5–3 / 2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1,लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा की गयी एन0पी0वी0 तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का विवरण संलग्न किया जा रहा है।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,	निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 7)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा में अन्तर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/10668/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**कनिष्ठ अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**सहायक अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**अधिशासी अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 8)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा में अन्तर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/10668/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावति मार्ग में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र सभी संलग्नकों सहित आन लाईन कर हार्ड कापी प्रेषित की जा रही है।

अमीन	**कनिष्ठ अभियन्ता**	**सहायक अभियन्ता**	**अधिशासी अभियन्ता**
निर्माण खण्ड,	**निर्माण खण्ड,**	**निर्माण खण्ड,**	**निर्माण खण्ड,**
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	**लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

प्रारूप–30.1 1.6

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 03.03.15 at time 4:00 PM at Almora in which application claiming rights **of Bhagartola, Chamua, Kapkoli, Dingari gunth** area measuring **2.43 hec.** for the **Construction of bhagartola-Chamua-Kapkoli Motor Road (km. 8) in Almora** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Bhanoli** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

03.03.15

Place; Almora

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

DATE:

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

FORM-1

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector: Almora

No........................... Dated...03/03/2015.........

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **2.43** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction of bhagartola-Chamua-Kapkoli Motor Road (km. 8) in Almora district falls within jurisdiction of Bhagartola, Chamua, Kapkoli, Dingari gunth Village (s) in Bhanoli tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **2.43** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure .... to annexure................

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.:-YES

Encl: As above

03.03.15
Vinod kumar Suman
District Collector, Almora

जिला वन अधिकार ... अल्मोड़ा

प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

FORM-II

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector: Almora

No.......................... Dated..03/03/2015.........

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that **2.43** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Construction of bhagartola-Chamua-Kapkoli Motor Road (km. 8) in Almora district falls within jurisdiction of Bhagartola, Chamua, Kapkoli, Dingari gunth Village (s) in Bhanoli tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **2.43** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure 9

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given t heir consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Bhagartola, Chamua, Kapkoli, Dingari gunth** villages (s) is enclosed as annexure 3.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

(f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

03.03.15

Vinod kumar suman

District Collector, Almora

प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता,

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०

अल्मोड़ा

जिला समाज कल्याण अधिकारी

अल्मोड़ा

प्रपत्र–30.2 16

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 8.00 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भनोली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, भनोली

उपखण्ड भनोली परिक्षेत्र के जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 किमी0) के निर्माण हेतु 2.295 है0 सिविल सोयम भूमि 0.135 है0 वन पंचायत भूमि कुल 2.43 है0 वन भूमि, का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भनोली) की दिनांक 14/12/21 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **अनिल कुमार चन्याल**, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री **अनिल कुमार चन्याल**, उपजिलाधिकारी, भनोली, अध्यक्ष

2– श्री **अमरेश कुमार**, उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य

3– श्री किशन सिंह जड़ौत सहायक समाज कल्याण अधिकारी, , सदस्य/सचिव

4– श्री हरीश प्रसाद बी0डी0सी0 क्षेत्र डसीली सदस्य भगरतोला

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 किमी0) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **भनोली** परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अंतर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग (लम्बाई 8.00 कि0मी0 के निर्माण हेतु 2.295 है0 सिविल सोयम भूमि 0.135 है0 वन पंचायत भूमि कुल 2.43 है0 वन भूमि,निर्माण ख0 लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–भनोली जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–भनोली, जनपद अल्मोड़ा

प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अल्मोड़ा

प्रपत्र–30.3

परियोजना विवरण :– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम

तहसील–भनोली, जिला–अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (ल0 8.00 किमी0)** के निर्माण हेतु 2·43 है० सिविल सोयम भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भगरतोला द्वारा दिनांक 15/02/2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम......भगरतोला......के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकास खण्ड
जनपद अल्मोड़ा

प्रधान,
ग्राम पंचायत भगरतोला
विकास खण्ड – धौलादेवी
जिला अल्मोड़ा
ग्राम प्रधान

प्रतिहस्ताक्षरित

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 9)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा में अन्तर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/10668/2015)

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव में निहित सभी निर्धारित शर्तो का पालन भली–भॉति किया गया है और भविष्य में मार्ग निर्माण में भी किया जायेगा।

अमीन **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**कनिष्ठ अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**सहायक अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**अधिशासी अभियन्ता** **निर्माण खण्ड,** **लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 10)

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा में अन्तर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/10668/2015**)**

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित कार्य के निर्माण में उत्तराखण्ड द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु चाही सभी शर्तो का पालन किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है।

अमीन	**कनिष्ठ अभियन्ता**	**सहायक अभियन्ता**	**अधिशासी अभियन्ता**
निर्माण खण्ड,	**निर्माण खण्ड,**	**निर्माण खण्ड,**	**निर्माण खण्ड,**
लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	**लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**	**लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**